

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:-मुसप्र/2019/956

दिनांक:-27/11/19

### आदेश

उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम, जोधपुर के अधीन कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग(जी+3) के 22, अल्प आय वर्ग के 24, मध्यम आय वर्ग-अ के 3 एवं मध्यम आय वर्ग-ब के 1 कुल 50 आवासों/फ्लैटों का निस्तारण खुली बिक्री योजना के माध्यम से निस्तारित किये जाने के संबंध में अतिरिक्त मुख्य अभियंता-द्वितीय, जोधपुर द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर खुली बिक्री योजना में नगद भुगतान पद्धति से निस्तारण किये जाने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। खुली बिक्री योजना से निस्तारण किये जाने वाले फ्लैटों का विवरण निम्नानुसार है:-


क्र.स.	फ्लैट संख्या	फ्लोर	आय वर्ग
1.	12.-G-11	Second Floor	EWS
2	12.-G-25	Second Floor	EWS
3	12.-G-26	Second Floor	EWS
4	12.-G-29	Third Floor	EWS
5.	12.-H-16	Third Floor	EWS
6.	12.-G-23	First Floor	EWS
7.	12.-H-7	First Floor	EWS
8	12.-K-114	Ground Floor	EWS
9.	12.-K-125	Third Floor	EWS
10	14.-A-45	Third Floor	LIG
11	14.-A-48	Third Floor	LIG
12	14.-B-47	Third Floor	LIG
13	14.-B-93	Third Floor	LIG
14	14.-B-95	Third Floor	LIG
15	14.-C-70	First Floor	LIG
16	14.-D-22	First Floor	LIG
17	14.-D-28	Second Floor	LIG
18	14.-D-37	First Floor	LIG
19.	14.-D-98	Ground Floor	LIG
20	14.-E-78	Third Floor	LIG
21	14.-E-83	Ground Floor	LIG
22.	14.-F-6	First Floor	LIG
23	14.-F-11	Second Floor	LIG
24	14.-F-32	Third Floor	LIG
25	14.-F-71	First Floor	LIG
26	14.-H-9	Second Floor	LIG
27	14.-J-11	Second Floor	LIG
28.	14.-J-28	Second Floor	LIG

29.	14.-J-36	Ground Floor	LIG
30	14.-K-20	Ground Floor	LIG
31.	14.-M-9	Second Floor	LIG
32	14.-F-16	Third Floor	LIG
33	14.-H-19	Ground Floor	LIG
34	4.-Z-19	Third Floor	MIG-B
35	12.-E-19	Ground Floor	EWS
36	12.-E-45	Third Floor	EWS
37	12.-E-56	Second Floor	EWS
38	12.-E-69	Third Floor	EWS
39	12.-F-6	First Floor	EWS
40	12.-F-27	Second Floor	EWS
41	12.-F-28	Second Floor	EWS
42	12.-F-74	Second Floor	EWS
43	12.-F-93	Third Floor	EWS
44	12.-G-47	Third Floor	EWS
45	12.-G-87	First Floor	EWS
46	12.-G-88	First Floor	EWS
47	12.-G-96	Third Floor	EWS
48	15.-F-30	Third Floor	MIG-A
49	15.-F-39	First Floor	MIG-A
50	15.-G-57	Second Floor	MIG-A

संबंधित उप आवासन आयुक्त, एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा उल्लेखित सारणी में उपलब्ध आवास/फ्लैट का खुली बिक्री योजना के माध्यम से नकद भुगतान पद्धति में निस्तारण हेतु जारी आदेश क्रमांक मुसप्र/2017/1191 दिनांक 27.03.2017 में निम्न वर्णित शर्तों की पालना सुनिश्चित करेंगे :-


1. फ्लैटों (आवासों) आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
2. उक्त फ्लैटों (आवासों) के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य फ्लैट खुली बिक्री योजना हेतु रिक्त नहीं है।
3. उक्त फ्लैटों (आवासों) का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावे।
4. फ्लैटों (आवासों) का निस्तारण खुली बिक्री योजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निस्तारण करें।
5. प्रस्तावित फ्लैटों (आवासों) में किसी भी प्रकार का विवाद/न्यायिक विवाद लम्बित नहीं है, एवं विधिवत निरस्त किये गये हैं साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि निस्तारण हेतु प्रस्तावित फ्लैटों बाबत किसी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी फ्लैट किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का पैरा संख्या 18/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।

  
**(डॉ. प्रीति सिंह पंवार)**  
 मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ -

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सहायक-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक(विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
5. अति० निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-द्वितीय/चतुर्थ, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी सम्बन्धित को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु०), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

  
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक